फार्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड जयपुर द्वितीय सांगानेर, जयपुर

किशोर सिंह बनाम आशा पाण्डे

पत्रावली संख्या / वर्ष 176/2022 : / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अप्रार्थी उप० पत्रावली वास्ते बहस/आपत्ति कमीशन रिपोर्ट 24/4/24 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
24/4/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/5/24 को पेश हो।	
8/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीगण उप० बहस अन्तिम कमीशन रिपोर्ट अप्रार्थीगण सुनी गई अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने मुताबिक कमीशन रिपोर्ट डिक्री किये जाने का निवेदन किया [illegible] मुताबिक कमीशन रिपोर्ट अन्तिम डिक्री किया जाता है [illegible] डिक्री [illegible] से [illegible] शामिल पत्रावली किया जावे पत्रावली फैसल [illegible] से [illegible] हो बाद [illegible] तकमील दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी जयपुर (सांगानेर)	F.D. [illegible] [हस्ताक्षर] 8/5/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 176/2022
निर्णय दिनांक : 08.05.2024

उनवान

1. किशोर सिंह राठौड पुत्र श्योजी सिंह राठौड, जाति राजपूत निवासी प्लाट नम्बर 27 सचिवालय कॉलानी, बरकत नगर, टोंक फाटक जयपुर।

वादी

बनाम

1. श्रीमती आशा पाण्डे पत्नी श्री शशिकान्त शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी 53–54 रघुनाथजी प्रथम, पिंजरापोल गौशाला के सामने, श्योपुर रोड, प्रतापनगर, सांगानेर जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

बाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी ने वाद पत्र बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद में दिनांक 21.09.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि उभयपक्षों की उपस्थिति में भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं कब्जे के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में तैयार करवा कर इस न्यायालय को दिनांक 04.11.2022 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों मे पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर के पत्रांक कोर्ट/भू0अ0/कुर्रेजात/2024/1139 दिनांक 09.02.2024 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

उपस्थित अधिवक्ता की बहस अंतिम कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। हमने बहस उपस्थित अधिवक्ता, पत्रावली व राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अधोपान्त अवलोकन करने व बहस का सगौर मनन करने पर वाद वादी तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिर्पोट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अतः वाके ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 4340 रकबा 0.21 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज ग्राम वाटिका

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	48	आशा पाण्डे पत्नी श्री शशिकान्त शर्मा हिस्सा 4/21, जाति ब्राहम्ण, निवासी 53–54 रघुनाथजी प्रथम, पिंजरापोल गौशाला के सामने, श्योपुर रोड, प्रतापनगर, सांगानेर जयपुर खातेदार	4340	0.21	चाही 1	6.72
2.		किशोर सिंह राठौड पुत्र श्योजी सिंह राठौड, हिस्सा 17/21, जाति राजपूत निवासी प्लाट नम्बर 27 सचिवालय कॉलानी, बरकत नगर, टोंक फाटक जयपुर खातेदार				
		कुल किता	1	0.21		

प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज ग्राम वाटिका

क्र. सं.	लगान	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा हैक्टेयर में	किस्म	रंग
1	1.28	आशा पाण्डे पत्नी श्री शशिकान्त शर्मा हिस्सा सम्पूर्ण, जाति ब्राहम्ण, निवासी 53–54 रघुनाथजी प्रथम, पिंजरापोल गौशाला के सामने, श्योपुर रोड, प्रतापनगर, सांगानेर जयपुर खातेदार	4340 मि.	0.04	चाही1	
		कुल किता	1	0.04		
2.	5.44	किशोर सिंह राठौड पुत्र श्योजी सिंह राठौड, हिस्सा सम्पूर्ण, जाति राजपूत निवासी प्लाट नम्बर 27 सचिवालय कॉलानी, बरकत नगर, टोंक फाटक जयपुर खातेदार	4340 मि.	0.17	चाही1	
		कुल किता	1	0.17		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर